



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-29.10.2024

विषय- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त झाऊ उर्फ शकील को पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष की सजा व कुल 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 288/2017 धारा-354बी, 452, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त झाऊ उर्फ शकील पुत्र कमरुद्दीन, निवासी- ए-39/49-2 सरैया, जैतपुरा वाराणसी को थाना जैतपुरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 29.10.2024 को मा0 न्यायालय स्पे0 पॉक्सो-11 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त झाऊ उर्फ शकील उपरोक्त को धारा- 354, 452 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में अधिकतम 03 वर्ष कारावास व कुल 15,000/- रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी